कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर छ0ग0

–:: आदेश ::–

क्रमांक– 14/दो–11–26/2005 बिलासपुर, दिनांक 12 जनवरी, 2015

इस कार्यालय स्थापना के अंतर्गत शीघ्रलेखक (हिन्दी) के रिक्त पदो पर नियुक्ति हेतु आयोजित लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा में रोस्टर नियमो का पूर्णतः पालन करते हुए चयनित अभ्यर्थियों को उनके नाम के समक्ष वर्णित पदों पर वेतनमान 5200–20200 + 2800/– (वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन) में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप दो वर्ष की परिविक्षा पर निम्नांकित शर्तो के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है :–

क्र0	नवनियुक्त उम्मीदवारों के नाम एवं पते	वर्ग	पद नाम जिसमें नवनियुक्ति प्रदान की गई
1	2	3	4
1	श्री कृपाल देवांगन, पिता–श्री सोहनलाल देवांगन, पता–कृष्णा नगर, जनकबाई घाट, बनियापारा जूना बिलासपुर, बिलासपुर छ0ग0	सामान्य	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)

नियुक्ति की शर्ते

1– उपरोक्त नवनियुक्त उम्मीदवारो को इस आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र सहित इस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा उनका नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। यदि वे फिटनेस प्रमाण पत्र में शासकीय सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाते है, तो उनका यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

2– पुलिस द्वारा चारित्रिक सत्यापन में उन्हे यदि किसी अपराध में संलग्न रहना पाया गया, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

3– उनकी सेवाएं कभी भी बिना कोई कारण दर्शाये एक माह की पूर्व सूचना देकर अथवा एक माह के वेतन एवं भत्तो का भुगतान कर उन्हे तत्काल सेवामुक्त जा सकता है।

4– यदि वे शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हे एक माह की पूर्व सूचना इस कार्यालय को देनी होगी, अथवा एक माह की कालावधि की सूचना के बदले, एक माह के वेतन एवं भत्तो की राशि इस कार्यालय में जमा करनी होगी।

5– इस कार्यालय की अनुमति के बिना वे आगे शिक्षा ग्रहण नहीं करेगें। ऐसा करने पर उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।

6– इस कार्यालय की अनुमति के बिना वे अन्यत्र नौकरी के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करेगें। ऐसा करने पर उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।

7– दो वर्षो की परिविक्षा सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने पर कार्य, आचरण आदि के आधार पर शासकीय सेवा में नियमित किये जाने के योग्य पाये जाने पर मूलभूत नियमों के अनुसार स्थायीकरण पर विचार किया जायेगा।

8– उपरोक्त नवनियुक्त कोई भी पुरूष उम्मीदवार जिनके एक से अधिक पत्नियॉ हो और कोई भी महिला उम्मीदावार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, पाये जाते है तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

9– उपरोक्त वर्णित नवनियुक्त उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

10– नवनियुक्त उम्मीदवार जो अन्यत्र सेवारत् है, वे उक्त विभाग/संस्था/कार्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने अन्य प्रमाण पत्रों के साथ प्रस्तुत करेगें।

11– नवनियुक्त उम्मीदवारों की पदस्थापना सिविल जिला के अंतर्गत किसी भी बाह्य न्यायालय अथवा अनुविभाग में की जा सकती है।

(एम0डी0 कातुलकर)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर छ0ग0